न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या-   /2024

CNR No. UPBB180000102024

साहब लाल   बनाम   दुर्गाशंकर आदि

09.01.2024

1. प्रार्थना-पत्र ग-6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग-7 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

2. वादी ने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर पहले वादी के पूर्वज बादहू वादी काबिज व दखील चला आ रहा है। विवादित भूमि को नक्शा नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी,इ,एफ से दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कभी कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादीगण अपने सहयोगियों के साथ उक्त विवादित भूमि पर कब्जा व नाली का निर्माण करने की नियत से दिनांक 06.01.2024 को लाठी डण्डा लेकर आये व नाली खोदने लगे। वादी के मना करने पर अमादा फसाद होने लगे व जल्द से जल्द कब्जा कर लेने की धमकी दी।

3. वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में इस स्तर पर बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

4. अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी वांछित पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 दिनांक 09.02.2024 को पेश हो।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू०डि०),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

09.01.2024

प्रार्थना-पत्र ग-9 वास्ते जारी करने कमीशन जरिए अमीन पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादी पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करें।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू०डि०),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।